

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 3779

उत्तर देने की तारीख: 11.08.2026

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयन

3779. श्री रमेश अवस्थी :

श्री अनन्त नायक :

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोर:

श्री महेंद्र सिंह सोलंकी :

श्री विनोद लखमशी चावड़ा :

श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ओडिशा, मध्य प्रदेश, गुजरात और कच्छ जिले, देवास-शाजापुर, दाहोद और क्यौझर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों सहित देश में दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए उपायों का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के अंतर्गत नियमों को अधिसूचित करने और निगरानी तंत्र स्थापित करने वाले राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की संख्या कितनी है और उक्त निर्वाचन क्षेत्रों सहित कार्यान्वयन की स्थिति का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों सहित इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगजनों के लिए सुगमता, रोजगार, शिक्षा और सामाजिक समावेशन के संबंध में कोई राज्य-वार और जिला-वार मूल्यांकन किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य निष्कर्षों, किए गए सुधारात्मक उपायों और दिव्यांग-अनुकूल बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार के लिए जारी की गई निधि का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)**

(क) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समानता और भेदभाव-रहित व्यवहार, सुगम्यता, समावेशी शिक्षा, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा समाज में भागीदारी का प्रावधान किया गया है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (DEPwD) देशभर में विभिन्न योजनाओं और पहलों को कार्यान्वित कर रहा है, जैसे कि दिव्यांगजनों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु सहायता (ADIP) योजना, दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना तथा दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (DDRS)। इसके अतिरिक्त, बाधा-मुक्त पर्यावरण सृजन योजना (CBFE) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को मौजूदा सरकारी भवनों और प्रतिष्ठानों में बाधा-मुक्त वातावरण के सृजन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विभाग द्वारा एक समरूप डेटाबेस तैयार करने के लिए विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (UDID) परियोजना भी कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) विभाग में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने नियम अधिसूचित कर दिए हैं।

(ग)-(घ) विभाग द्वारा दिव्यांगजनों से संबंधित अपनी योजनाओं और पहलों का समय-समय पर मूल्यांकन एवं मॉनिटरिंग किया जाता है। ADIP योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन किया गया है। प्रधानमंत्री दिव्याशा-वयोश्री केंद्रों (PMD-VKs) का भी मूल्यांकन किया गया है। इसके अतिरिक्त, दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का तृतीय-पक्ष मूल्यांकन योजना को जारी रखने के संबंध में किया गया, जिसमें यह पाया गया कि यह योजना दिव्यांग छात्रों के जीवन में सुधार लाने तथा उनकी रोजगार-क्षमता बढ़ाने में प्रभावी रही है। उपर्युक्त आकलनों एवं मूल्यांकनों के निष्कर्षों के आधार पर, विभाग ने अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने तथा सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के सुगम्यता संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए विभाग ने निर्मित पर्यावरण के लिए सार्वभौमिक डिजाइन मानकों तथा डिजिटल सुगम्यता के लिए प्रावधान निर्धारित करते हुए समरूप दिशानिर्देश (Harmonised Guidelines) अधिसूचित किए हैं। इसके अतिरिक्त, सुगम्यता ऑडिट में सहायता प्रदान करने के लिए विभाग ने निर्मित पर्यावरण के क्षेत्र में 60 सुगम्यता ऑडिटर्स तथा वेब सुगम्यता के क्षेत्र में 16 सुगम्यता ऑडिटर्स को सूचीबद्ध किया है, जिनकी सेवाएं संबंधित उपयुक्त सरकारों तथा अन्य प्राधिकरणों द्वारा ली जा सकती हैं।
